कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर

नगरपालिका परिषद् शिकारपुर नगर की सीमा के अन्दर लगाये जाने वाले साप्ताहिक बाजार/मेला बाजार/निजी भूमि पर लगने वाले बाजार/प्रदर्शनी के सम्बन्ध में।

उपविधि

09 फरवरी, 2024 ई0

सं0 157/न0पा0प0शि/2024—नगरपालिका परिषद् शिकारपुर नगर की सीमा के अन्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि उनके अनुरक्षण व उनके स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-291, 292, 293(1), 294 धारा-298(2) के शीर्षक (त्र) व धारा-299 के अधीन नगरपालिका शिकारपुर की सीमा के अन्दर लगाये जाने वाले साप्ताहिक बाजार/मेला बाजार/निजी भूमि पर लगने वाले बाजार/प्रदर्शनी से सम्बन्धित तैयार की गयी है। जो बोर्ड बैठक दिनांक 23 जून, 2023 के प्रस्ताव सं0 16, 17 में स्वीकृत है। नगरपालिका परिषद् शिकारपुर द्वारा पारित होने पर वित्तीय वर्ष 2023-24 उपविधि कहलायी जायेगी। नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की सीमान्तर्गत लगाये जाने वाले साप्ताहिक बाजार/मेला बाजार/निजी भूमि पर लगने वाले बाजार/प्रदर्शनी हेतु निम्न विहित रीति से तैयार कराकर ''पंजाब केसरी'' समाचार-पत्र में दिनांक 02 सितम्बर, 2023 एवं ''दैनिक विशाल विश्व मानव'' दिनांक 04 सितम्बर, 2023 में प्रकाशन इस आशय से किया गया कि जिस व्यक्ति को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के कार्यालय में सूचना प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु प्रकाशन के निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नही हुई है। अतः कार्यालय नगरपालिका परिषद् शिकारपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 को यह अपनी मूल रूप से सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, यह उपविधि गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधियॉ

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद् शिकारपुर जनपद-बुलन्दशहर की ''नगरपालिका परिषद् शिकारपुर नगर की सीमा में लगाये जाने वाले साप्ताहिक बाजार/मेला बाजार/निजी भूमि पर लगने वाले बाजार/प्रदर्शनी'' की उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगरपालिका परिषद् शिकारपुर नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी।

(3) यह उपविधि वित्तीय वर्ष 2023-24 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

1—परिभाषायें—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में—

(1) अधिनियम से तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2) सन् 1916 से है।

(2) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् शिकारपुर नगर के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) चेयरपर्सन से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् शिकारपुर के चेयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है।

(4) वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।

(5) निरीक्षक का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् शिकारपुर नगर के ऐसे कर्मचारी से है जिसे नगरपालिका परिषद् शिकारपुर नगर के बोर्ड, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा उपविधि के कार्य के सम्बन्ध में निरीक्षण के लिये नियुक्त किया गया हो।

(6) ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है, जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगें जो नगरपालिका अधिनियम 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

2– नगरपालिका परिषद् शिकारपुर नगर के द्वारा अपनी सीमा के अन्दर निर्धारित स्थान (जो कि नगरपालिका परिषद् के द्वारा निर्धारित किया जाये) सप्ताह के एक दिन सुविधानुसार (जिसे नगरपालिका बोर्ड निर्धारित करेगा) साप्ताहिक बाजार लगाया जायेगा।

3– साप्ताहिक बाजार में नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थल पर व्यापारियों को फड़ लगाकर अपना सामान बिक्रय करने के लिये अस्थाई जगह उपलब्ध करवाई जायेगी। जिसके लिये नगरपालिका के द्वारा 10 रु0 प्रतिवर्ग फुट की दर से शुल्क वसूल किया जायेगा। परन्तु रु0 50 से कम नही होगा।

4– नगरपालिका के द्वारा जिस व्यापारी को एक सप्ताह जिस स्थान पर फड़ लगाकर सामान बिक्रय करने की अनुमति दी जाती हैं, यह आवश्यक नहीं कि अगले साप्ताह पुनः उसी व्यापारी को वही स्थान उपलब्ध करवाया जाये इस सम्बन्ध में किसी व्यापारी को आपत्ति/क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

5– साप्ताहिक बाजार में किसी भी व्यक्ति को कोई निर्माण स्थाई/अस्थाई रूप से करने का अधिकार नहीं होगा केवल धूप बारिश आदि से बचने के लिये तिरपाल आदि का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु इसमें नगरपालिका की किस सड़क, मार्ग चबूतरे आदि को कोई हानि नहीं होनी चाहिये।

6– यदि किसी व्यक्ति के द्वारा तिरपाल आदि को लगाने के लिये नगरपालिका की किसी सड़क चबूतरे आदि को कोई हानि पहुचाई जाती है, तब ऐसी स्थिति में नगरपालिका को उस व्यक्ति के द्वारा की गई हानि को सही करने में लगने वाली धनराशि से दोगुनी धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा।

7– साप्ताहिक बाजार में किसी भी व्यक्ति को ऐसा स्थान फड़ लगाने के लिये उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा। जिससे मार्ग अवरूद्ध होता हो।

8– नगरपालिका के द्वारा साप्ताहिक बाजार में शुल्क वसूली के लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन आदि करके ठेका छोड़ा जायेगा। परन्तु यदि किसी कारणवश नगरपालिका बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका न दे सकें तो बोर्ड अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकता हैं।

9– ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगा जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगा चाहें किन्हीं कारणवश ठेका 1 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात् ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में कोई आपत्ति करने का अधिकार ना होगा।

10– ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुरूप अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक हैं, जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयवधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी तथा पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगरपालिका को होगा।

11– ठेकेदार अथवा नगरपालिका कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) जिसे उपरोक्त शुल्क वसूली का ठेका/कार्य दिया गया हो वह उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नही करेगा।

12– ठेकेदार अथवा नगरपालिका कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा। और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगरपालिका कर्मचारी रसीद बुक को नगरपालिका कार्यालय में जमा किया जायेगा। जिसको नगरपालिका के द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा।

13– ठेकेदार अथवा नगरपालिका कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) सम्पूर्ण वसूली के विवरण को एक रजिस्टर में अंकित करेगा। जिसमें भूमि/सम्पत्ति का विवरण व प्राप्त शुल्क आदि अंकित किया जायेगा। रजिस्टर पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/कर्मचारी रजिस्टर को नगरपालिका कार्यालय में जमा करेगा। जिसे नगरपालिका में कम से कम 3 वर्षों के लिये सम्भाल कर रखा जायेगा।

14– नगरपालिका के द्वारा छोड़े गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है, अथवा अन्य ऐसा कार्य किया जाता हैं, जो कि इस उपनियम अथवा नगरपालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विरूद्ध हो अथवा ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरूद्ध कार्य किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में नगरपालिका परिषद् को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

15– ठेके की अन्य शर्ते नगरपालिका के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

16– उक्त उपविधियाँ केवल साप्ताहिक बाजार/मेला बाजार/निजी भूमि पर लगने वाले बाजार/प्रदर्शनी के सम्बन्ध में लागू होगी अन्य दिनों में नगरपालिका की भूमि का अस्थाई इस्तेमाल करने का शुल्क वसूल करने के लिये नगरपालिका के द्वारा अलग से उपविधियाँ बनाई जायेंगी और उन उपविधियों के अन्तर्गत दिये गये ठेके के ठेकेदार को साप्ताहिक पैठ में शुल्क वसूली करने का अधिकार नही होगा। परन्तु दोनों ठेके किसी एक ठेकेदार को दिये जाने में कोई प्रतिबन्ध भी नही हैं।

17– यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा इन उपनियमों द्वारा उनपर आरोपित किन्हीं अपेक्षाओं अथवा आभारों का उल्लघंन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप करता है, या बांधा डालता है, तो उसके विरूद्ध नगरपालिका कार्यवाही करेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा। जोकि नगरपालिका अधिनियम की धारा-299 के अनुसार अंकन रु0 1,000 तक हो सकेगा, तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा। जोकि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनों के लिये अंकन रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता हैं।

18– यदि कोई व्यक्ति अपनी निजि जमीन पर बाजार/प्रदर्शनी लगाता है अथवा लगवाता है तो वह पालिका की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही लगा सकता है वह किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप नही करेगा पालिका के नियमों का पालन करना होगा। निजि जमीन पर लगने वाले बाजारों/प्रदर्शनी में भूमि स्वामी द्वारा कानून व्यवस्था एवं वहाँ पर समस्त दुकानदारों व जन समुदाय के लिये मूल-भूत सुविधायें जैसे शौचालय पुरूष महिला के लिये पृथक–पृथक, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, अग्नि समन की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था आदि स्वयं करना होगा शर्तें पूरी न होने पर पालिका द्वारा स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

19– भूमि स्वामी को अपनी निजि भूमि पर बाजार/प्रदर्शनी लगाने के लिये स्वीकृति शुल्क रु0 10,000.00 नगरपालिका को जमा करना होगा तथा प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क रु0 5,000 देना होगा।

20– भूमि स्वामी को अपनी निजि भूमि पर बाजार/प्रदर्शनी लगाने पर रु0 20 प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह नगरपालिका को देना होगा।

21– यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगरपालिका के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

22– उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है, तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(हा0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद् शिकारपुर,
जनपद-बुलन्दशहर।